

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इसमें
जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रतिवादी
उपस्थित। वकील प्रतिवादी के अग्र प्रार्थना 07
रुल ॥ CPC का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर
पाया। प्रतिवादी से. 01 अधिवक्ता को जवाब
हेतु कलियुक्त अक्सर किया जाकर पत्रावली
दिनांक 25-02-2021 को पेश है।

पत्रावली पेश हुई। वकूलाय करिये मय
अधिवक्ता उपस्थित वादी के और से जर्जना
पत्र 7॥ सी. पी. सी. का जवाब पेश हुआ।
प्रतिवादी अधिवक्ता को नफला की उति
दिलवाई गई। अधिवक्ता द्वारा आज ही बहस
करने का निर्देश किया गया। बहस सुनी
गयी, प्रतिवादी ने बताया कि 7॥ CPC के
तहत जो वाद विधि द्वारा वर्जित है, वाद
हेतु उक्त नहीं है। जो वह वाद विधि
अनुसार स्वीकार होता है उक्त वादी द्वारा
प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने तथा कोई
हेतु उक्त नहीं होने से जर्जना - पत्र 7॥

CPC मंजूर किया जावे एवं वाद-वादी
स्वीकार किया जावे तथा अहम में कथन कि
कि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि
वास्तविक वादवादी के विरुद्ध कथानी
विधि

ज आदि
019
2021

पृ 0ह0
2 हैक्टर
करने हेतु
कायमी

नियम
स्थाई

पत्र

है,
के

मुद्रमा - वाद

श्रीजराज बनाम गिरीराज सिंह

30/06/2018

वाद नहीं लाया जा सकता है। वादी-स्वातदार
 अधिकार नहीं है। वादी-स्वातदार के आधार
 पर वाद लाया है। जबकि प्रतिपक्ष-स्वातदार के
 आधार पर स्वातदारी अधिकार उफ़ल नहीं
 होते हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के
 आधार पर स्वातदारी की घोषणा नहीं
 गयी है। वह दस्तावेज अनरजिस्टर्ड
 एवं अनर-स्टैम्प है। ऐसे दस्तावेज के
 आधार पर स्वातदारी घोषणा नहीं दी जा
 सकती है। इसलिए भी वाद विधि द्वारा
 वर्जित है। वादी अधिकारता द्वारा कहे
 में उक्त कथनों का विरोध किया गया।
 उक्त बातें उनकी में जोड़कर प्रार्थना - फ
 7/111 स्वारीज करने का निवेदन किया।
 प्रतिवादी अधिकारता द्वारा प्रस्तुत माननीय
 राजस्व मंडल अजमेर की नजीर एवं
 प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया
 गया। उक्त पक्षों की कहे सुनकर
 न्यायालय के समक्ष तथ्य सामने आये कि
 प्रतिवादी गिरीराज सिंह राजस्व रिपोर्ट में
 स्वातदार है तथा उक्त स्वातदारी वैसे
 विरासत के प्राप्त हुई है। इसलिए प्रतिवादी
 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना फ 7/111 CPC मंजूर
 किया जाता है तथा वाद-वादी स्वारीज
 फरमाया जाता है। वाद स्वारीज होने से
 लाम्बित प्रार्थना - फ 7/110 CPC स्वतः
 ही अस्तित्वहीन हो गया। निवेदन
 गया। पत्रावली 4